न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–13/2019

1–महेन्द्रसिह पुत्र अमृतसिंह जाति ठाकुर निवासी करकटपुरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा उ0प्र0

......................वादी

बनाम

1–रामकली पत्नी रामचरन जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ जिला धौलपुर
2–सौरभसिंह पुत्र विद्याराम जाति खटीक निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (फौत दौराने विचारण वाद) 2/1–मिथलेश वेवा 2/2–निधि 2/3–पावनी पुत्रीगण नावालिग सरपरस्त माँ स्वयं मिथलेश
3–बी.आर.के.जी.बी. बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.... प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई
निषेधाज्ञा आधीन धारा 53, 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति – 1– श्री शेषकुमार एडवोकेट............... (वादी)

निर्णय दिनांक 23.03.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खसरा नम्बर 3112, 3113 स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर–1 तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 26.02.2020 को दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांकःराजस्व/2021/390 दिनांक 30.09.2021 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। विद्वान वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

अधिकारी सैंपऊ (राज.)

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:–

1–रामकली पत्नी रामचरन जाति गडरिया सा0 देह खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	3113/1	0.1467	बारानी आलिफ

योग किता–1 रकवा–0.1467 हैक्टेयर

2–मिथलेश पत्नी सौरभसिंह, निधि, पावनी नाबालिग पुत्रीयान व प्रिन्स नाबालिग पुत्र पिसरान सौरभसिंह हिस्सा बराबर जाति खटीक सा0 देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी. बी.शाखा सैपऊ सरपरस्त माता मिथलेश खुद।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	3113/3	0.2934	बारानी आलिफ

योग किता–1 रकवा–0.2934 हैक्टेयर

3–महेन्द्रसिंह पुत्र अमृतसिंह जाति ठाकुर सा0 करकटपुरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	3112	0.1897	बारानी आलिफ
2.	3113/2	0.1036	बारानी आलिफ

योग किता–2 रकवा–0.2933 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान् की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
जिला–धौलपुर (राज0)

<u>डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई</u>

अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
इजलास –ललित मीना आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या–13 / 2019

1–महेन्द्रसिह पुत्र अमृतसिंह जाति ठाकुर निवासी करकटपुरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा उ0प्र0

......................वादी

बनाम

1–रामकली पत्नी रामचरन जाति बघेला निवासी ग्राम सैपऊ जिला धौलपुर 2–सौरभसिंह पुत्र विद्याराम जाति खटीक निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (फौत दौराने विचारण वाद) 2/1–मिथलेश वेवा 2/2–निधि 2/3–पावनी पुत्रीगण नावालिग सरपरस्त मॉ स्वयं मिथलेश

3–बी.आर.के.जी.बी. बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक

4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अधीन धारा 53, 188 आर.टी.ए.</u>

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री .... एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम सैपऊ नम्बर–1 तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–रामकली पत्नी रामचरन जाति गडरिया सा0 देह खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	3113/1	0.1467	बारानी आलिफ

योग किता–1 रकवा–0.1467 हैक्टेयर

2–मिथलेश पत्नी सौरभसिंह, निधि, पावनी नाबालिग पुत्रीयान व प्रिन्स नाबालिग पुत्र पिसरान सौरभसिंह हिस्सा बराबर जाति खटीक सा0 देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी.शाखा सैपऊ सरपरस्त माता मिथलेश खुद।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	3113/3	0.2934	बारानी आलिफ

योग किता–1 रकवा–0.2934 हैक्टेयर

3–महेन्द्रसिंह पुत्र अमृतसिंह जाति ठाकुर सा0 करकटपुरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	3112	0.1897	बारानी आलिफ
2.	3113/2	0.1036	बारानी आलिफ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला–धौलपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

किता—2 रकवा—0.2933 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान् की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान को पावन्द किया जाता है कि वह एक दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.03.2022 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ जिला—धौलपुर (राज०)